

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(4)(33) छात्रवृत्ति/शै.स.2024-25/मान्यार्थि/16301 दिनांक: 27.09.2024

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय/ मिरासी एवं भिखी समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/ राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/ अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन/ नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक पोर्टल प्रारम्भ किया जाता है।

उक्त ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप अथवा मोबाइल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेंगे।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)

DIPR/C/9312/24

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR M.P.

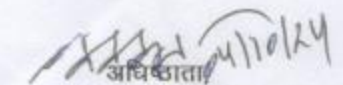
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ A Central University)

क्रमांक/SC/ST Cell/05/24-25/155

दिनांक 04 अक्टूबर 2024

प्रतिलिपि-

- समस्त अधिष्ठाता/ समस्त विभागाध्यक्ष डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अन्य प्रदेश राजस्थान के पात्र विद्यार्थियों पोर्टल में ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु । (विस्तृत जानकारी हेतु ऑन लाईन पोर्टल देखें)
- माननीय कुलपति महोदय जी के सचिव को सूचनार्थ ।
- श्रीमान् कुलसचिव महोदय जी के निजी सहायक को सूचनार्थ ।
- प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- संकाय/ वभाग के सूचना पलट पर वस्था ।


अधिष्ठाता
छात्र गतिविधियाँ

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : F-21(1)/Sch/2024-25/SJED/2024/10625

दिनांक : 13-6-2024

आदेश

राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग विमुक्त, धुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु समुदाय/मिरासी एवं भिंसी समुदाय तथा मुख्यमंत्री सवजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर, राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त तथा राज्य के बाहर संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं के मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोर्टल शीघ्र में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

अतः विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले सभी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल/महाविद्यालय/विद्यार्थियों निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ करने से पूर्व छात्रवृत्ति योजना नियमान्तर्गत निम्न अनिवार्य अर्हता अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि छात्रवृत्ति आवेदन करने में सुगमता हो :-

विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा संचालित किये जाने वाले कोर्स की विधायक बोर्ड/संस्था से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अनुमति प्राप्त करना।
2. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा स्वयं के अधीन संचालित महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मान्यता/सम्बद्धता समय पर जारी करना।
3. छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा वर्ष 2024 की समाप्ति से पूर्व NAAC (National Assessment Accreditation Council)/NBA (National Board of Accreditation) से मान्यता लिया जाना अनिवार्य होगा, ताकि उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2025-26 तथा उसके उपरान्त भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे।

महाविद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से महाविद्यालय की मान्यता, संचालित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीटों की अनुमति प्राप्त करना।
2. छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा केवल AISHE Code अथवा नियामक एजेन्सी द्वारा जारी कोड के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा। अतः केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम एजेन्सी से AISHE Code प्राप्त करना।
3. छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा वर्ष 2024 की समाप्ति से पूर्व NAAC (National Assessment Accreditation Council)/NBA (National Board of Accreditation) से मान्यता/सम्बद्धता लिया जाना अनिवार्य होगा, ताकि उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2025-26 तथा उसके उपरान्त भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Lal Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.06.13 09:46:05 IST
Reason: Approved

सीओआय/रा
सीओआय/रा
प्राप्त
वैकल्पिक
प्राप्त
Circular
All Departments
21/6/24
21/6/24
21/6/24

4. शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार बेसड रियलटाइम बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु शिक्षण संस्थान को विभाग द्वारा केवल एक ही आई.पी. एड्रेस अनुमत किया जायेगा। परन्तु संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई.पी. विभाग द्वारा अनुमत की जा सकेगी। अतः उक्त से संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रवृत्ति आवेदन की प्राप्ति से स्वीकृति तक अथवा सत्र पूर्ण होने तक, में से जो भी पहले हो के दौरान संस्थान द्वारा प्रत्येक माह में संबंधित विद्यार्थी की न्यूनतम एक उपस्थिति आधार बेसड बायोमैट्रिक मशीन के जरिये सुनिश्चित की जायेगी, जिसे छात्रवृत्ति पोर्टल से रियल टाईम इंटरलैंक किया जायेगा। अतः उक्त के संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विद्यार्थी हेतु निर्देश :-

1. विद्यार्थी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी द्वारा परिवार के जनाधार में परिवार एवं स्वंय से संबंधित डाटा (आवेदक का नाम एवं आधार संख्या, जाति/वर्ग, आर्थिक स्थिति (APL/BPL), बैंक खाता, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता/पति का नाम मय आधार संख्या, पारिवारिक विवरण, इत्यादि) अद्यतन किया जावे।
3. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना अनिवार्य (यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है, कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवायें), KYC पूर्ण होना, ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बन्द न हो एवं बैंक खाता माईनर न हो।

अतः विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले सभी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल/महाविद्यालय/विद्यार्थियों निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनिवार्य अर्हता अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि छात्रवृत्ति आवेदन करने में सुगमता हो।

उल्लेखनीय है कि उक्तानुसार विद्यार्थी अथवा संस्थाओं द्वारा वांछित/अनिवार्य अर्हता पूर्ण नहीं करने की स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन नहीं किये जाने/शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र अशेषित नहीं होने की स्थिति में आर्थिक एवं न्यायिक प्रकरणों में आदेशित शास्ति इत्यादि का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का होगा।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांक : F 21(1)/Sch/2024-25/SJED/2024 / 10626-11000

दिनांक : 17-6-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.06.13 09:46:05 IST
Reason: Approved

5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
10. अतिरिक्त निदेशक (देवनागरी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
12. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/समाग्रीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं गान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थार्थ सुनिश्चित करवाने, वेबसाइट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. उपनिदेशक (छात्रवृत्ति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
20. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

RajKaj Ref
7814707

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.06.13 09:46:05 IST
Reason: Approved



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR M.P.

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ A Central University)

कमांक/SC/ST Cell / 05 / 24-25 / 156

दिनांक 04 अक्टूबर 2024

प्रतिलिपि-

1. समस्त अधिष्ठाता/ समस्त विभागाध्यक्ष डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अन्य प्रदेश राजस्थान के पात्र विद्यार्थियों पोर्टल में ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. माननीय कुलपति महोदय जी के सचिव को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् कुलसचिव महोदय जी के निजी सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संकाय/ वभाग के सूचना पलट पर चस्पा।